इनामी बदमाश साथी समेत गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। डीएसटी व थाना उद्योग नगर पुलिस की टीम ने गुरुवार को नाकाबंदी के दौरान 10 हजार रुपये के इनामी बदमाश नवीन खान उर्फ ओबामा उर्फ नवी उर्फ नावेद उर्फ नदीम पुत्र नमी खान उर्फ नईमुद्दीन खान उर्फ नेमीचंद (25) निवासी थाना उद्योग नगर के पास से तीन अवैध देशी कट्टे और साथी इमरान उर्फ सोनू पुत्र शरीफ मोहम्मद (22) निवासी इंदिरा कॉलोनी थाना विज्ञान नगर के पास से दो अवैध देशी कट्टे और एक जिंदा कारतूस बरामद किये है। दोनों बदमाशों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि 19 अप्रैल 2023 को चित्रगुप्त कॉलोनी दादाबाड़ी निवासी महिला अंजना श्रीवास्तव से कानों की सोने के झाल लूटने के मामले में आरोपी नवीन खान पर 10 हजार का इनाम घोषित किया गया था।

इसके अतिरिक्त दोनों आरोपियों और उसके साथियों द्वारा 30 मई को सूर्य नगर निवासी निर्मल प्रजापति के साथ रास्ते में मारपीट कर बाइक में तोड़फोड़ की थी। जिसमें ये फरार चल रहे थे। एसपी चौधरी ने बताया कि वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह हिंगड़ व सीओ धर्मवीर सिंह के निर्देशन एवं एसएचओ अनिल जोशी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। गुरुवार को उद्योग नगर थाने के एसआई विनोद कुमार और डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल विशाल अवस्थी मय टीम द्वारा धाकड़खेड़ी पुलिया के नीचे नाकाबंदी कर इन दोनों आरोपियों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री तारिक खान पुत्र श्री लियाकत अली, आयु 50 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी मकान नम्बर 30 फ्रेण्ड्स कालोनी बोरखेडा कोटा (राज.) जिनका पुत्र साहिल खान पुत्र श्री तारिक खान जो कि आए दिन मेरे पक्षकार के साथ गाली-गलौच, लड़ाई-झगड़ा करके शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करते है तथा आए दिन परेशान करते है, इस कारण मेरे पक्षकार ने उनके पुत्र साहिल खान को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करके अपने संबंध समाप्त कर लिए है, तथा मेरे पक्षकार का उनके पुत्र साहिल खान से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है, यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मेरे पक्षकार के पुत्र साहिल खान से किसी प्रकार का कोई लेन-देन, संव्यवहार आदि करता है तो उसके लिए मेरा पक्षकार जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया सूचित हो।

कोटा,
दिनांक : 14.09.2023

भवदीय
आशीष माहेश्वरी एडवोकेट
कोटा (राज.), मो. 9511571949

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा सूचना
सं. ईएल/50/एनआईटी/17 (2023-24), दि. 13.09.2023

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से **वरि. मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य), पश्चिम मध्य रेल, कोटा,** निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा संख्याः** ईएल/50/162/2023-24. **कार्य का नामः कोटा - मंडल रेलवे अस्पताल का विस्तार एवं उन्नयन। अनुमानित लागतः** ₹ 25,69,059/-. **बयाणा राशिः** ₹ 51,400/-. **कार्य समाप्ति अवधिः** 3 माह। **निविदा प्रस्तुत करने एवं खुलने की दिनांक तथा समयः** 05.10.2023 को 15.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.15 बजे। ऑफर केवल ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वेबसाईट **http://www.ireps.gov.in** पर स्वीकार किए जायेंगे। निविदादाता के पास क्लास III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुएली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कण्डीशन्स एवं शर्तें अवश्य पढ लें।

कोरोना से बनाना है दूरी तो वेक्सीन लगवाना है जरुरी।

कालपुरिया पुलिया से आमजन को मिलेगी राहत : हरिमोहन शर्मा

बूंदी, (निसं)। ग्राम पंचायत कालपुरिया में आज 93 लाख रुपए से बनने वाली पुलिया के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने कहा कि गत साढे चार वर्षों में राजस्थान सरकार ने आम जन के हितार्थ अनेक योजनाएं देकर क्षेत्र की तकदीर बदलने का काम किया है।

पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में इसपुलिया की निर्माण की मांग क्षेत्रवासी बड़े समय से कर रहे थे। जिनके आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजन लाल जाटव ने हमारी बात को मानकर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बूंदी विधानसभा क्षेत्र में विधायक की कोई उपलब्धि नहीं है जिसे गिना सके।इसलिए क्षेत्र पर लगे 15 वर्ष के ठाहण को समाप्त कर क्षेत्र का भाग्य बदलने का काम करना है। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम किरण मीणा, स्थानीय पंचायत के सरपंच भगवान सिंह, प्रधान प्रतिनिधि सत्यनारायण मीणा, पूर्व प्रधान नाथू लाल गुर्जर, जय किशन मीणा, वरिष्ठ कांठोस नेता करण सिंह गुड़ा, मंडल अध्यक्ष मनवीर सिंह वीर्क, राकेश मीणा ,महावीर गुर्जर, रामगंज सरपंच रामलाल सैनी, महेंद्र सिंह नमाना, ठाम सेवा सहकारी अध्यक्ष आनंदी लाल मीणा ,मलूक सिंह, गुरदेव सिंह, कमलजीत सिंह, चरणजीत सिंह, हीरा सिंह ,मनजीत सिंह, सोनू सिंह ,गोपाल गुर्जर, नंदकिशोर कुशवाह, किशन लाल वर्मा, पन्नालाल मीणा ,हरीश मेघवाल ,पुखराज सिलोर, राधेश्याम मीणा, सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे।

ग्राम पंचायत कालपुरिया में 93 लाख रुपए से बनने वाली पुलिया का भूमि पूजन हुआ।

सड़क हादसे में एक की मौत

छबड़ा, (निसं)। छबड़ा-धरनावदा मार्ग पर गुरूवार को दो बा को में आमने-सामने की भिडंत हो ग , जिसमें एक बा क सवार की मृत्यु हो ग । वही, दूसरा बा क सवार भी गंभीर घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में लाए, यहां चिकित्सक ने उसे बारां रैफर कर दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वही, पुलिस ने मृतक के पुत्र के परिवाद पर जांच प्रारंभ कर दी हैं। डीएसपी नेत्रपालसिंह भी चिकित्सालय पहुंच गए थे। सीआई छुट्टनलाल मीणा ने बताया कि छबड़ा में बा क से किसी कार्य से आए उद्यमसिंह (50) पुत्र कालू एवं इसके पीछे बैठी राजपति (40) पत्नी रामचंद्र जातिगण कंजर निवासी शंकर कॉलोनी पुनः वापस लौट रहे थे कि वही, दूसरी ओर से आ रहे बा क सवार टॉवर कॉलोनी निवासी इरशाद (23) आत्मज रमजान की बा क से आमने-सामने की भिडंत हो ग । दोनो घायलो को चिकित्सालय में लाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच उपरांत उद्यमसिंह को मृत घोशित कर दिया। वही, घायल राजपति का छबड़ा चिकित्सालय में उपचार जारी है। वही, इस हादसें में घायल इरषाद को भी उपचार के लिए चिकित्सालय में लाए। जिसकी भी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सक ने उसे उपचार के लिए बारां रैफर कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर चिकित्सालय के मोचरी कक्ष में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वही, मृतक के पुत्र सोनू द्वारा दिए परिवाद पर जांच प्रारंभ कर दी है।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2253 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 14.9.23

आवास संख्या 1-सी-9 झालावाड़ का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती रत्ना बाई पत्नी श्री मोतीराम को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री दिलीप कुमार पारेता पुत्र श्री रमेश चन्द पारेता के नाम दिनांक 30.09.2013 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री दिलीप कुमार पारेता पुत्र श्री रमेश चन्द पारेता द्वारा अपने पक्ष में दिनांक 09.12.2013 को करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री दिलीप कुमार पारेता की मृत्यु दिनांक 12.09.2021 को हो चुकी है। श्री दिलीप कुमार पारेता की मृत्यु हो जाने के उपरांत इनकी पत्नी श्रीमती रश्मि एवं श्री अथर्व पारेता पुत्र स्व. श्री दिलीप कुमार द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर संयुक्त रुप से अपने नाम किए जाने का निवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास को हस्तांतरण/प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती रश्मि पत्नी स्व. श्री दिलीप कुमार पारेता एवं श्री अथर्व पारेता पुत्र स्व. श्री दिलीप कुमार के नाम हस्तांतरण/प्रतिस्थापन करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती रश्मि पत्नी स्व. श्री दिलीप कुमार पारेता एवं श्री अथर्व पारेता पुत्र स्व. श्री दिलीप कुमार के नाम हस्तांतरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

समस्या समाधान शिविर आयोजित

कोटा, (निसं)। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा गुरूवार को जिला बून्दी तहसील हिंडोली क्षेत्र पेच की बावड़ी के समस्त भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए तहसील हिंडोली के राजीव गांधी सेवा केन्द्र में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल एसके पंजाबी ने बताया कि शिविर में भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं तथा उनके आश्रितों के 25 परिवार लाभान्वित हुए, जिसमें मौके पर ही 20 की समस्या का समाधान किया गया। इसके अलावा 4 को द्वितीय विश्वयुद्ध के वृद्ध जिनकी आयु 80 से 90 वर्ष से अधिक हैं उनका भौतिक सत्यापन किया गया।

आमजन को अधिकाधिक मतदान के लिए किया प्रेरित

बूंदी, (निसं)। आगामी विधानसभा आम चुनाव, 2023 के दौरान अधिकाधिक मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत जिलेभर में विविध जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में गुरूवार को बूंदी शहर में वोट बारात निकालकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता संदेश प्रसारित कर चुनाव के दौरान अधिकाधिक मतदान के लिए प्रेरित किया गया।

वोट बारात को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वोट बारात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर कोटा रोड़, सूर्यमल्ल मिश्रण चौराहा, एक खंभे की छतरी से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पर आकर सम्पन्न हुई। इस दौरान मतदान आवश्यक रूप से करने, वीएचए एप, सी-विजिल एप के प्रति आमजन को जागरूक किया गया।

वोट बारात में पुलिस विभाग, ठामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, स्काउट व गाइड, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खेल विभाग, नेहरू युवा केन्द्र सहित अन्य विभागों की सहभागिता रही। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र कुमार व्यास, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ओपी गोस्वामी, जिला खेल अधिकारी वाईबी सिंह, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सतीश जोशी, सर्वेश तिवारी, कौशल जैन आदि मौजूद रहे।

मतदाता जागरूकता के लिए शहर में वोट बारात निकाली।

छात्र नाबालिग को महाराष्ट्र से लेकर जयपुर पहुंचा

कोटा,(निसं)। सोशल मीडिया पर जान पहचान के बाद कोटा में कोचिंग कर रहा एक 16 वर्षीय छात्र महाराष्ट्र की एक 14 वर्षीय बालिका को लेकर जयपुर पहुंचा। जयपुर से मुंबई भागने के बीच कोटा जंक्शन पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट व थाना जवाहर नगर पुलिस ने बुधवार रात दोनों को दस्तयाब कर लिया। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि 11 सितंबर को फरियादी ने अपने नाबालिक बेटे की गुमशुदगी थाना जवाहर नगर पर दर्ज कराते बताया कि कोटा में रहकर कोचिंग कर रहा उसका बेटा 9 सितंबर को बिना बताए कहीं चला गया। गुमशुदा बालक की तलाश के दौरान जानकारी में आया कि कोटा से ट्रेन में बैठकर वह 10 सितंबर को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचा और सोशल मीडिया पर फ्रेंड बनी 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को लेकर जयपुर चला गया। एसपी चौधरी ने बताया कि बच्ची की गुमशुद की थाना देवली जिला वर्धा महाराष्ट्र पर दर्ज है।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2257 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 14.9.23

आवास संख्या 1/123 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री पुरुषोत्तम गुप्ता पुत्र श्री बद्री लाल गुप्ता को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती सुलोचना जैन पत्नी श्री हरकचन्द जैन को दिनांक 12.11.2007 को किया गया। श्रीमती सुलोचना जैन पत्नी श्री हरकचन्द जैन द्वारा इस आवास का पंजीयन दिनांक 14.03.2008 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्रीमती सुलोचना जैन पत्नी श्री हरकचन्द जैन द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्यवाही किए जाने हेतु दिनांक 24.03.2008 को मुख्तार नामा आम आलेखित कर श्रीमती अंजु गुप्ता पत्नी श्री इन्द्रभूषण खण्डेलवाल एवं श्री दिनेश चन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री आर.बी. अग्रवाल को संयुक्त रुप से अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्रीमती अंजु गुप्ता पत्नी श्री इन्द्रभूषण खण्डेलवाल एवं श्री दिनेश चन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री आर.बी. अग्रवाल द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 12.06.2009 को श्रीमती तनुजा शर्मा पत्नी श्री धीरज शर्मा को किया गया। श्रीमती तनुजा शर्मा पत्नी श्री धीरज शर्मा का नाम दिनांक 10.08.2021 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती तनुजा शर्मा पत्नी श्री धीरज शर्मा द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 01.03.2023 को श्रीमती रेखा तिवारी पत्नी श्री अरुण कुमार गौतम को किया गया।

अतः इस आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती रेखा तिवारी पत्नी श्री अरुण कुमार गौतम का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि इस आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती रेखा तिवारी पत्नी श्री अरुण कुमार गौतम का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्रीमती रेखा तिवारी पत्नी श्री अरुण कुमार गौतम का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3553 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 7.12.22

आवास संख्या 6-एस-26 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री रविन्द्रपाल शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री रविन्द्रपाल शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा के नाम दिनांक 05.02.2003 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्री रविन्द्रपाल शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 26.02.2019 को श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री मोहन लाल को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री मोहन लाल द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 07.09.2020 को श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री जगदीश कुमार को किया गया। श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री जगदीश कुमार का नाम दिनांक 13.01.2021 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री जगदीश कुमार द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 01.07.2021 को श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री राज मल जैन को किया गया। श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री राज मल जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री राज मल जैन के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री राज मल जैन का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री राज मल जैन के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ11 विक्रय/2022-23/665 — दिनांकः-12.9.23

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड संख्या 893 सुभाष नगर आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 18.04.1991 को श्री कुलवन्त सिंह आनन्द पुत्र श्री एस. सोहन सिंह के नाम आवंटन किया गया था। श्री कुलवन्त सिंह आनन्द पुत्र श्री एस. सोहन सिंह द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती जतन झाबक पत्नी श्री शांति लाल झाबक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2023 को श्री अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री श्रीचन्द एवं श्रीमती माला गुलवानी पत्नी श्री अनिल कुमार को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्री अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री श्रीचन्द एवं श्रीमती माला गुलवानी पत्नी श्री अनिल कुमार द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 893 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री अनिल कुमार पुत्र स्व. श्री श्रीचन्द एवं श्रीमती माला गुलवानी पत्नी श्री अनिल कुमार के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ का कार्य बहिष्कार

बारां, (निसं)। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ बारां द्वारा गुरुवार को तीसरे दिन भी 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला औषधी भंडार में भी 10 से 12 बजे तक 2 घण्टे कार्य बहिष्कार किया गया। जिलाध्यक्ष लीलाधर नागर ने बताया कि मांगे नहीं मानी गई तो 15 सितम्बर से सामूहिक अवकाश पर जायेंगे। जिला अध्यक्ष लीलाधर नगर ने बताया कि फार्मासिस्ट 7 सूत्री मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजबूरन हड़ताल करना पड़ रहा है। धरने में जिले के सभी फार्मासिस्ट ने दवा काउंटर बंद रखें। प्रदर्शन में सीताराम गर्ग, कनिका गुप्ता,सुनीता मीना, हेमंत गोस्वामी, हेमन्त मीना, राजेंद्र मेहता, दुर्गाशंकर मीना, मुकेश बैरागी, नवनीत शर्मा, नरेन्द्र नागर, ऋतिक, बुद्धि प्रकाश मीना आदि फार्मासिस्ट शामिल हुए।

खगोलीय घटनाओं के नजारे देख रोमांचित हुए विद्यार्थी

कोटा, (निसं)। रानपुर स्थित मोशन के ध्रुव कैंपस में खगोलीय जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित आकाशगंगा कार्यक्रम के तहत अन्तरिक्ष और चंद्रमा के नजारे देखकर विद्यार्थी रोमांचित हो गए। मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ ने नितिन विजय ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के निर्देशों के तहत उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के तहत विशेष वातानुकूलित डोम में खगोलीय घटनाएं प्रदर्शित की गई। इसके तहत विद्यार्थियों को विभिन्न देशों द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए यानों एवं व्यक्तियों की जानकारी दी गई। इसे विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष तौर पर देखा एवं महसूस किया। चंद्रमा पर कबाड़ हो चुके विभिन्न लैंडर्स एवं रोवर्स की स्थितियां देखकर विद्यार्थी रोमांचित हो गए। सूर्य के सापेक्ष विभिन्न ग्रहों एवं उनके विभिन्न चंद्रमाओं की गति एवं संख्या विद्यार्थियों के लिए विस्मय का विषय बनी रही। मोशन की डायरेक्टर डॉ. स्वाति विजय ने बताया कि इस कार्यक्रम में पोलाद स्टील की भाग्यलक्ष्मी रोलिंग मिल का सहयोग रहा। कार्यक्रम में 500 से अधिक विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में ध्रुव कैंपस के डायरेक्टर देव शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

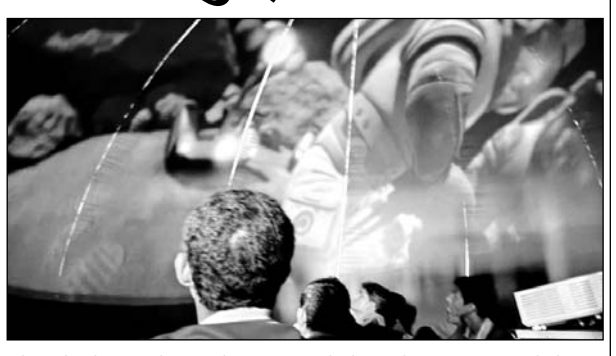

कोटा में मोशन कोचिंग के विद्यार्थियों में खगोलीय घटना को देखा।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2117 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 01.09.23

आवास संख्या 3-सी-6 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती सुषमा पत्नी श्री मथुरा लाल को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्री एन.वी. कलंकी पुत्र श्री वी.पी. कलंकी के नाम दिनांक 17.10.1995 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री एन.वी. कलंकी पुत्र श्री वी.पी. कलंकी के नाम दिनांक 24.01.1996 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्री एन.वी. कलंकी पुत्र श्री वी.पी. कलंकी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 27.06.2016 को श्री कौशल कुमार जैन पुत्र श्री टीकम चन्द जैन एवं श्रीमती बरखा जैन पत्नी श्री कौशल कुमार जैन को संयुक्त रुप से किया गया। श्री कौशल कुमार जैन पुत्र श्री टीकम चन्द जैन एवं श्रीमती बरखा जैन पत्नी श्री कौशल कुमार जैन का नाम दिनांक 06.09.2016 को मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री कौशल कुमार जैन पुत्र श्री टीकम चन्द जैन एवं श्रीमती बरखा जैन पत्नी श्री कौशल कुमार जैन द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 19.06.2023 को श्रीमती कान्ता अरोड़ा पत्नी श्री वासुदेव अरोड़ा को किया गया। श्रीमती कान्ता अरोड़ा पत्नी श्री वासुदेव अरोड़ा द्वारा उक्त आवास का दान जरिये उपहार पत्र आलेखित कर दिनांक 06.07.2023 को अपने पुत्र एवं पुत्रवधु श्री संजय अरोड़ा पुत्र श्री वासुदेव अरोड़ा एवं श्रीमती रत्ना अरोड़ा पत्नी श्री संजय अरोड़ा को संयुक्त रुप से किया गया। श्री संजय अरोड़ा पुत्र श्री वासुदेव अरोड़ा एवं श्रीमती रत्ना अरोड़ा पत्नी श्री संजय अरोड़ा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में अपना नाम उपहार पत्र के आधार पर संयुक्त रुप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्री संजय अरोड़ा पुत्र श्री वासुदेव अरोड़ा एवं श्रीमती रत्ना अरोड़ा पत्नी श्री संजय अरोड़ा का नाम उपहार पत्र के आधार पर संयुक्त रुप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र के आधार पर श्री संजय अरोड़ा पुत्र श्री वासुदेव अरोड़ा एवं श्रीमती रत्ना अरोड़ा पत्नी श्री संजय अरोड़ा के नाम मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांकः-उ.आ.आ./को.वृ.को./2023-2024/2271 — दिनांकः 14.9.23

जाहिर आम सूचना

आवास संख्या 6 के 1 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री निर्मल दास पुत्र श्री आत्माराम को किया गया। श्री निर्मल दास द्वारा उक्त आवास का बैचान इकरारनामा, मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 13.08.1988 को श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री छोटे खाँ को किया गया। श्री अब्दुल वहीद द्वारा उक्त आवास का बैचान इकरारनामा, मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 06.11.2003 को श्रीमती सुधा जैन पत्नी श्री जयकुमार जैन को किया गया। श्रीमती सुधा जैन द्वारा अपने पक्ष में नियमितिकरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया गया।

अतः इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती सुधा जैन पत्नी श्री जयकुमार जैन के नाम करने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती सुधा जैन पत्नी श्री जयकुमार जैन के नाम किए जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का नियमितिकरण श्रीमती सुधा जैन पत्नी श्री जयकुमार जैन के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2023/23162 — दिनांकः 14.9.23

उपविभाजन एवं स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सोनी पुत्र स्व. श्री नाथूलाल सोनी एवं श्री नरेन्द्र कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री नाथूलाल सोनी निवासी भूखंड संख्या 609-ए तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 609-ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट में से उत्तरी भाग क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट एवं शेष दक्षिणी भाग क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट का उपविभाजन कर उत्तरी भाग का स्वामित्व श्री नरेन्द्र कुमार सोनी एवं दक्षिणी भाग का स्वामित्व श्री राजेन्द्र सोनी के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 609-ए तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक एफ(9511)आवंटन/न.वि.न्या./71-72 दिनांक 26.07.1974 से श्री नाथू लाल सोनी पुत्र श्री फून्दी लाल सोनी को किया गया। श्री नाथू लाल सोनी का देहावसान दिनांक 07.11.2015 को हो जाने के उपरांत श्री नाथू लाल सोनी के विधिक वारिसान श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व. श्री नाथूलाल सोनी एवं श्रीमती मंजूलता सोनी पुत्री स्व. श्री नाथूलाल सोनी पत्नी श्री नेमीचन्द सोनी ने जर्ये रजिस्टर्ड हक परित्याग पत्र दिनांक 19.01.2018 से उक्त भूखंड में से स्वयं का हक श्री राजेन्द्र सोनी पुत्र स्व. श्री नाथूलाल सोनी एवं श्री नरेन्द्र कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री नाथूलाल सोनी के पक्ष में त्याग दिया। श्री राजेन्द्र सोनी एवं श्री नरेन्द्र कुमार सोनी के मध्य निष्पादित नोटेरी सहमति पत्र तहरीरी दिनांक 21.08.2023 से उक्त भूखंड का उत्तरी भाग श्री नरेन्द्र कुमार सोनी को तथा दक्षिणी भाग श्री राजेन्द्र सोनी को प्राप्त हुआ है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड का उपविभाजन कर स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का उपविभाजन कर स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूख